न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2024/308

1. राजेश कुमार पुत्र श्री मालीराम
2. सीताराम पुत्र श्री मालीराम, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम श्रीपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. पवन पुत्र श्री सीताराम, आयु 13 वर्ष नाबालिग जरिये प्राकृतिक संक्षक एवं पिता श्री सीताराम शर्मा जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम श्रीपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. युवराज पुत्र श्री राजेश शर्मा आयु 8 वर्ष नाबालिग जरिये प्राकृतिक संक्षक एवं पिता श्री राजेश शर्मा जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम श्रीपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

–अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिए तहसीलदार जालसू, तहसील जालसू, जिला जयपुर।

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश तहसीलदार जालसू, जिला जयपुर ग्रामीण दिनांक 18–6–2024 पत्रावली संख्या 10/2023 उनवानी राजेश कुमार व अन्य जिसके द्वारा पंजिकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु प्रस्तुत आवेदन को खारिज किया गया है।

उपस्थित–

1. श्री संजय शर्मा वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक–21.01.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार जालसू जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 18.06.2024 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट श्री राजेश कुमार पुत्र श्री मालीराम द्वारा पंजीकृत वसीयत के अनुसार नामान्तरकरण खोले जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जालसू जिला जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार जालसू द्वारा प्रार्थी द्वारा वसीयत में वर्णित आराजी स्वअर्जित सिद्ध न होने के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश दिनांक 18.06.2024 को दिए गये।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. तहसीलदार जालसू जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 18.06.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स राजेश कुमार पुत्र श्री मालीराम वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार जालसू जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 18.06.2024 को निरस्त कर पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 13.02.2020 के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की गई।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । अपीलांट के योग्य अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम श्रीपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर स्थित भूमि साबिका खसरा नम्बर 42, 121, 125, 133, 207, 234, 266 के जागीरदार श्री कारणसिंह पुत्र श्री भगवत सिंह राजपूत थे उपरोक्त भूमियों पर अपीलांट्स के हकपूर्वाधिकारी लादया पुत्र नोन्दा एवं अन्य परिवारजन संयुक्त रूप से काबिज काश्त थे जिनका नाम खतौनी बंदोबस्त सम्वत् 2010–23 के कॉलम संख्या 5 में बहैसियत कृषक "जैला व बीजा व पेमला पुत्र पूरा व लादया पुत्र नोन्दा कौम ब्राह्मण सा. देहहि. बराबर" बजमाने जागीर से अंकित चला आ रहा है।राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के बाद उपरोक्त वर्णित भूमि साबिका खसरा नम्बर 42, 121, 125, 133, 207, 234, 266 को समस्त राजस्व भू–अभिलेखो में बहैसियत खातेदार काश्तकार "जैला व बीजा व पेमला पुत्र पूरा व लादया पुत्र नोन्दा कौम ब्राह्मण सा. देह हि. बराबर" अंकित किया गया, अपीलांट्स के हकपूर्वाधिकारी लादया पुत्र नोन्दा एवं उनके परिवारजन अपने जीवन पर्यन्त स्वतंत्र रूप से बहैसियत खातेदार काश्तकार उपयोग एवं उपभोग में लेकर नियमानुसार समस्त भूमि का लगान राज्य सरकार को जमा करवाते चले आ रहे है। जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम 1952 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के बाद से ही उपरोक्त वर्णित भूमियों के अभिलिखित खातेदार काश्तकार अपीलान्ट्स के पितामह समस्त राजस्व भू–अभिलेखो में अंकित चले आ रहे है जो अपीलांट्स के हकपूर्वाधिकारी की स्वः अर्जित सम्पत्ति है उक्त तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट सिद्ध होने के उपरान्त भी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनिय है।

तहसील आमेर में हुए भू–प्रबन्धन के दौरान विवादित भूमि खाबिका खसरा नम्बर 207 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर कायम करते हुए भूमि का रकबा मैट्रिक प्रणाली में परिवर्तित करते हुए उसके नवीन खसरा नम्बर हुए उसके नवीन खसरा नम्बर 230 रकबा 1.00 हैक्टे0, 231 रकबा 1.00 हैक्टे0, 232 रकबा 1.16 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 3.16 हैक्टे0 कायम किये जाकर खसरा नम्बर 230 रकबा 1.00 हैक्टे0 सम्पूर्ण, 231 रकबा 1.00 हैक्टे० सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 232 रकबा 1.16 हैक्टेयर में 106/116 हिस्से की खातेदारी अपीलांट्स के हकपूर्वाधिकारी लादूराम पुत्र नून्दा के नाम अंकित की गयी जो समस्त राजस्व भू–अभिलेखो में सम्वत् 2010 से 2077 तक की समस्त जमाबंदीयों में अपीलांट्स के पितामह एवं प्रपितामह के नाम निरन्तर अंकित चला आ रहा है तथा जिससे यह भी स्पष्ट सिद्ध हो रहा है कि अपीलांट्स के हकपूर्वधिकारी की खातेदारी में अंकित उक्त भूमि स्वः अर्जित सम्पत्ति है किन्तु

संभागीय आयुक्त
जयपुर

फिर भी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्यो को जानबूझकर नजर अंदाज कर कतई अवैध मनमाना आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलांट्स के हकपूर्वाधिकारी लादया पुत्र नून्दा उर्फ लादूराम पुत्र श्री नून्दा ने अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त में अंकित स्वःअर्जित सम्पत्ति 230 रकबा 1.00 हैक्टे0, 231 रकबा 1.00 हैक्टे० सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 232 रकबा 1.16 हैक्टेयर में 106/116 हिस्से को जरिये पंजिकृत वसीयतनामा दिनांक 13–2–2020 को अपने उत्तराधिकारी पोत्रो एवं प्रपोत्र अपीलांट्स के हक में पंजिबद्ध करवा दिया जिसे उप–पंजियक जालसू ने दिनांक 13–2–2020 को पुस्तक संख्या 3 जिल्द संख्या 1 में पृष्ठ संख्या 16 क्रम संख्या 202003145300001 अतिरिक्त पुस्तक संख्या 3 जिल्द संख्या 1 के पृष्ठ संख्या 104 से 111 पर चस्पा कर पंजिबद्ध किया गया है उल्लेखनीय है कि उक्त वसीयत को किसी भी व्यक्ति ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष या किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय के समक्ष कोई चुनौती नहीं दी है और ना ही कोई विवाद पैतृक या स्वः अर्जित सम्पत्ति के सम्बंध में पक्षकारो के मध्य मौजूद ही है किन्तु फिर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के समस्त सुस्थापित सिद्धान्तो को नजर अंदाज कर कतई अवैध मनमाना आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है । अपीलांट्स के हकपूर्वाधिकारी लादया पुत्र नूब्दा उर्फ लादूराम पुत्र श्री नून्दा का दिनांक 15–12–2022 को स्वर्गवास हो गया जिनके स्वर्गवास के पश्चात् अपीलांट्स ने दिनांक 06–9–2023 को उपरोक्त वर्णित पंजिकृत वसीयतनामा के आधार पर अपने हकपूर्वाधिकारी लादूराम पुत्र श्री नून्दा की विरासत का नामान्तरकरण अपने नाम स्वीकृत करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिसे दर्ज कर पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की गयी जिस पर पटवारी हल्का ने दिनांक 16–10–2023 को मौके पर जाकर फर्द मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त वर्णित भूमि के पैतृक अथवा स्वः अर्जित सम्पत्ति होने के सम्बंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दिया जिस पर अपीलांट् संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर खतौनी बंदोबस्त सम्वत् 2010–2023, मिलान क्षेत्रफल एवं सम्वत् 2008 से 2077 तक की जमाबंदियां पेश की तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स के हकपूर्वाधिकारी लादूराम उर्फ लादया पुत्र नूब्दा की पुत्रियों श्रीमती रूडी देवी एवं लक्ष्मी देवी को नोटिस जारी किये जो दिनांक 29–2–2024 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई जिस पर उनके बयान लेखबद्ध किये गये जिसमे श्रीमती रूडी देवी एवं लक्ष्मी देवी ने यह स्वीकार किया कि उक्त सम्पत्ति उनके पिता लादया पुत्र नून्दा उर्फ लादूराम पुत्र श्री नुन्दा की स्वः अर्जित सम्पत्ति है जिसकी उन्होने विधिवत् वसीयत अपीलांट्स के हक में की है जिसमें वे स्वयं गवाह है इसलिए वसीयत के अनुसार नामान्तरकरण अपीलांट्स के हक में स्वीकृत किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नही हैं। पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्य एवं विधिक उत्तराधिकारीयों के बयान से अधीनस्थ न्यायालय संतुष्ट होने के उपरान्त आम सूचना दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित करवायी गयी जिस पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही आयी लेकिन फिर भी बदि्नयतिपूर्वक कार्य करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य तथा विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो एवं राज भू–राजस्व अधिनियम की धारा 132 के बाध्यकारी प्रावधानो के विपरित कतई अवैध रूप से मनमाना आदेश पारित कर आवेदन निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जालसूजो कि भूमि अधिकारी है, जिसके पास भूमि वादग्रस्त के समस्त राजस्व रिकार्ड उपलब्ध हैं यदि वे अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जो कि उक्त प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण हेतु प्रर्याप्त दस्तावेज से संतुष्ट नहीं थे तो पटवारी हल्का से राजस्व रिकार्ड की जॉच करवाकर इस तथ्य को स्पष्ट करवाने में पूर्णतया सक्षम थे किन्तु फिर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इसके सम्बंध में कोई न्यायिक विवेक लगाये बिना कतई अवैध रूप

संभागीय आयुक्त
जयपुर

से प्रार्थना पत्र को निरस्त करने का अवैध मनमाना निर्णय पारित पारिक किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किये गये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार जालसू जिला जयपुर दिनांक 18.06.2024 निरस्त कर पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 13.02.2020 के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

6. राजकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जालसू जिला जयपुर द्वारा अपीलांट्स द्वारा ग्राम श्रीपुरा स्थित आराजी के संबंध में स्वअर्जित सिद्ध न होने की स्थिति में ही सभी तथ्यों की जॉच पश्चात् ही विधिवत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण अस्वीकार करने का यह आधार अंकित किया गया है कि वसीयत में वर्णित सम्पत्ति स्वअर्जित होना सिद्ध नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में विवादग्रस्त भूमि साबिक खसरा नं. 42, 121, 125, 133, 207, 234, 266 ग्राम श्रीपुरा की खतौनी बंदोबस्त उपलब्ध है। उक्त खतौनी बंदोबस्त के खाता संख्या 43 में उपर्युक्त कृषि भूमि के कृषक के रूप में जैला व बीजा व पेमला पुत्र पूरा व लादया पुत्र नोन्दा कौम ब्राह्मण सा. देह अंकित है। उक्त प्रविष्टि से स्पष्ट है कि लादया पुत्र नोन्दा जो प्रकरण में वसीयतकर्ता है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रारम्भ के समय वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार थे। अधिनियम के प्रावधानों से प्राप्त खातेदारी अधिकार स्वअर्जित सम्पत्ति की श्रेणी में है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया गया है। इसके विपरित हस्तगत प्रकरण में वसीयतकर्ता के समस्त वारिसान द्वारा वसीयत पर सहमति प्रदान की गई है। यहॉ तक कि सार्वजनिक रूप से आपत्ति आमन्त्रित करने पर भी कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपर्युक्त समस्त तथ्यों को अनदेखी करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.06.2024 पारित किया गया है जो विधिक प्रावधानों के सरासत विपरित है तथा बहाल रखे जाने योग्य नहीं है।

अतः आदेश है किः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जालसू जिला जयपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक दिनांक 18.06.2024 अपास्त किया जाकर तहसीलदार जालसू को निर्देशित किया जाता है कि पंजीकृत वसीयत दिनांक 13.02.2020 के अनुसार विवादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण स्वीकार किया जावे।

(रश्मि गुप्ता)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 21.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर